न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 06 / 2023

प्रार्थी–

1. श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री चम्पालाल (पत्नी जदीशचन्द)
2. श्रीमती वैजयन्ती देवी पुत्री चम्पालाल(पत्नी ओमप्रकाश) जातियान माली, निवासीयान बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पचपदरा पंचायत समिति बालोतरा, जिला बालोतरा
2. श्रीमती उमादेवी उर्फ उम्मेदी देवी पत्नी चम्पालाल निवासी पाटौदी सर्किल के पास, खिमाणियों का मौहल्ला, पचपदरा, हाल निवासी भैंसका वाले, अमर सागर, बड़ा बाग बाईपास रोड़, जैसलमेर।
3. भंवरलाल पुत्र कानाराम जाति नाई, निवासी पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 73 दिनांक 08.05.2017 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थीनीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरषोतम सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.05.2024

1. प्रार्थीनीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 73 दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2018 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थीनीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम पचपदरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 73 दिनांक 08.05.2017 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के

जिला कलक्टर
बालोतरा

संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2375 वर्गफीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में मैन रोड़ व 25 फीट, बदिशा दक्षिण में अरविंद का मकान व 25 फीट, पूर्व में भंवराराम व 95 फीट एवं पश्चिम में लखमीचंद का 95 फीट आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थीनीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पचपदरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीनीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि प्रार्थीनी मौजा पचपदरा की आबादी क्षेत्र में अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत से आलेच्य पट्टा संख्या 73 दिनांक 08.05.2017 को प्राप्त किया, जो नियमों एवं वास्तविक स्थिति तथा तथ्यों की अनेदेखी कर प्राप्त किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने आलोच्य पट्टा गलत रूप से स्वय का पुराना कब्जा न होने के पश्चात् भी प्राप्त किया, जबकि धारा 157(2) राजस्थान पंचाती राज नियम 1996 के तहत पुराने गृहों का नियमितिकरण किया जाता है, जबकि पट्टा स्थल भूमि पर 50 वर्षो से अधिक पुराना या उक्त अवधि के भीतर का कोई कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का नहीं था। आलोच्य पट्टा जिस सम्पति को प्राप्त किया, वो सम्पति प्रार्थीनीगण के पिता चम्पालाल के द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामा हीरालाल पुत्र अमराराम से दिनांक 15.09.1976 को खरीद किया जाकर दिनांक 16.11.1976 को पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित भूमि उमादेवी की पैतृक न होकर प्रार्थी के पिता चम्पालाल की खरीदसुदा सम्पति थी, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 को अपने अकेले के नाम पट्टा प्राप्त करने का कोई हक हित, अधिकारी नही था। प्रार्थीनीगण का उनके पिता चम्पालाल के जीवनकाल में कब्जा व रहवास था, इस कारण प्रार्थीनीगण को विवादित परिसर में उनके जो विधिक हक, हिस्से चम्पालालजी की जायंदा पुत्रिया होने से हिंदू विधि के अनुसार चम्पालालजी के फौत होने पर प्रार्थीानीगण को 1/3, 1/3 हिस्सा प्राप्त हो गया। प्रार्थीनीगण को उक्त हिस्से से वंचित करने के आशय से सही तथ्य छिपाकर आलोच्य पट्टा प्राप्त किया है जो खारीज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि प्रार्थीनीगण पुष्पादंवी व वेजयंतीदेवी चम्पालाल की पुत्रियां

जिला कलक्टर
बालोतरा

है, जिसका उक्त भूमि में बराबर हिस्सा है, उसके उपरांत भी प्रार्थीनीगण को पट्टे के संबंध में जानकारी दिये बिना ही बिना किसी नोटिस के एकतरफा आलोच्य पट्टा संख्या 73 जारी करवाया है, जो नियम विरूद्ध है। उक्त पारिवारिक सम्पति के बंटवाड़ा का दिवानी वाद श्री जिला न्यायालय बालोतरा में दिनांक 16.04.2018 को पेश किया, उसके पश्चात् भी तथ्य छिपाकर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आलोच्य पट्टे को आधार बनाकर अप्रार्थी संख्या 3 भंवरलाल के पक्ष में बेचान कर दिया। प्रार्थीनीगण के पिता चम्पालाल का देहांत दिनांक 17.02.2017 को हुआ, उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर एकपक्षीय एवं झूठे तौर पर आलोच्य पटट्ा 73 दिनांक 08.05.2017 जारी करवाया। उक्त आलोच्य भूखण्ड चम्पालालजी के खरीदसुदा था, ऐसा पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। प्रार्थीनीगण को उनके पिताजी की सम्पति के हक, हित एवं हिस्से से वंचित कर उन्हें हानी पहुंचाने व अप्रर्थी संख्या 2, 3 को लाभ पहूंचाने की बदनियतीपूर्वक आश्य से आलोच्य पट्टा जारी किया जो खारीज करने योग्य है।

5. प्रार्थीनीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों के पूर्ण पालना किये बिना नियमो की अनदेखी करते हुए जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या के साथ साठगांठ कर गलत रूप से निगरानीकर्ता के बिना जानकारी में लाये आलोच्य पट्टा दिनांक 08.05.2017 को जारी करवा दिया था, जिसकी जानकारी प्रार्थीनीगण को नहीं थी। प्रार्थीनीगण को आलोच्य पट्टा की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने यह निगरानी पेश की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जो आवेदन किया है तथा जो नक्शा बनाया गया है, नक्शा किसने बनाया इस बाबत कोई हवाला नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व आम रास्तों, नालियों बाबत स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है एवं न ही कोई नक्शा भी मौके पर कमेटी ने जाकर नहीं बनाया तथा वास्तविक स्थिति एवं आलोच्य नक्शे के नाप व पड़ौस की स्थिति में पूर्ण रूप से भिन्नता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करना था, मगर उक्त प्रकिया की पालना नहीं की गई। साथ ही साधारण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इंद्राज नहीं किया। इस प्रकार उक्त पटटा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस सूचना बावजूद भी उनुपस्थित।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 73 दिनांक 08.05.2017 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा